

न्यायालय उप तहसीलदार सिंधाना जिला झुन्झुनुं (राज0)
मुकदमा किरम मुकदमा रज्जु दिनांक निर्णय दिनांक
118/2019 धारा 91 एल.आर.एक्ट 15.10..2019 04.11.2019

उनवान सरकार बनाम हेमराज पुत्र कानाराम जाति माली निवासी ढाणा तहसील बुहाना
जिला झुन्झुनुं (राज0)

-: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का ढाणा ने सम्वत 2076 में इस आशय की
रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम ढाणा की राजकीय भूमि ख0 न0 57 कुल रकबा 1.20 है0 किरम
गै0 मु0 नदी मे से 0.25 है0 भूमि पर अतिकमी हेमराज पुत्र कानाराम जाति माली निवासी
ढाणा में अवैध रूप से बाड़ छड़ी व जोत कर अनाधिकृत रूप से अतिकमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी
को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर
तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी उपस्थित रहा।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिकमी द्वारा
किया गया अतिकमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिकमी
द्वारा राजकीय भूमि में बाड़ छड़ी कर अतिकमण किया गया है। अतिकमण किये जाने के
फलस्वरूप अतिकमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये
जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से बाड़, छड़ी व जोत कर
अतिकमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 4.94/- का अतिकमण शुदा भूमि के ख0
न0 57 लगान 0.25 की 50 गुणा जुर्माना राशि 13/- बतौर शास्ति कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0 अ0 निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा
कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिकमित
भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील
दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फौसला हो।

निर्णय आज दिनांक 04.11..2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

उप तहसीलदार सिंधाना

उप तहसीलदार के मुकदमा नं. 118/2019
दिनांक 04.11.2019

स. न्यायालय सिंधाना